न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 19/2019 **दायरा दिनांक : 26.02.2019**

उनवान

1– रमेश चंद

2– बरदीलाल पिसरान भैरूलाल अकवाम दॉगी, निवासीयान तुमडियाखेड़ी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– बालाराम आत्मज प्रताप, जाति दॉगी, निवासी तुमड़ियाखेड़ी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पिडावा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री पूरीलाल राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री रमेश सोनी अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 27.09.2022**

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 115/2006 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम तुमडियाखेड़ी, पटवार हल्का बोरखेड़ी, तहसील पिडावा में जमाबंदी संख्या 79 नई 56 पुरानी में खसरा नम्बर 39 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 65 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 165 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 420/97 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 445/69 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 455/357 रकबा 4 बीघा कुल 6 किता कुल रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा आराजी वादी बालाराम के खाते में दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम तुमडियाखेड़ी, तहसील पिडावा में खसरा नम्बर 65/384 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 75 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 76 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 77/386 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 78 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 95/387 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 422/97 रकबा 1 बीघा कुल 7 किता कुल रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा आराजी रमेशचन्द व बरदीलाल के खाते में दर्ज है। अपीलांट व रेस्पोडेंट एक ही परिवार के हैं। रमेश चन्द व बरदीलाल के पिता भैरू व बालाराम के पिता प्रताप दोनों सगे भाई थे। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी है जिसका बंटवारा पिता के जीवनकाल में ही हो गया था। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 420/97 रकबा 2 बीघा वादी रेस्पोडेंट की खातेदारी में है किन्तु यह आराजी प्रतिवादी अपीलांट नं. 1 व 2 के कब्जे काश्त में है। खसरा नम्बर 95/387 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा अपीलांटगण की खातेदार में है

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

किन्तु यह रेस्पोडेंट के कब्जे काश्त में है, वादग्रस्त आराजी की खातेदारी कब्जे काश्त के अनुसार हो जावे इस बाबत वाद प्रस्तुत हुआ था जिसे दिनांक 05.07.2017 को लोक अदालत में अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद डिक्री कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि लोक अदालत में पक्षकारान के विधिवत हक के विरूद्ध जाकर निर्णय दिये जाने की संज्ञेयता नहीं है, लोक अदालत केवल तथ्यों पर आधारित प्रश्नों का ही निर्णय करती है न कि कानून के विशुद्ध प्रश्नों का। लोक अदालत का निर्णय साम्या के विरूद्ध भी है क्योंकि अपीलार्थीगण की 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि के बदले उन्हें केवल 1 बीघा भूमि ही प्राप्त हो रही है । अधीनस्थ न्यायालय में जो व्यक्ति पक्षकार नहीं है तथा जिस बाबत न्यायालय में विवाद नहीं है उसका निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने अवैधानिक रूप से किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उसके द्वारा प्रकरण में उठाये गये तर्कों तथा कानूनी स्थिति को समझने का प्रयास भी नहीं किया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 30.10.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक

टंकणकर्ता
लेख
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अदालत में निर्णय पारित किया गया है जबकि लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में राजीनामा भी उपलब्ध नहीं है, उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को जवाबदावा पेश करने का अवसर प्रदान कर, तनकीयात कायम कर, तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.01.2023 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/9/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा